

प्रथम अपील अधिकारी, सूचना का अधिकार अधिनियम
एवं जिला कलक्टर उदयपुर
निर्णय द्वारा अध्यासित नमित मेहता आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या: 58/2025 (अपील सूचना का अधिकार)

गोवर्धन सिंह पता: बी/बी-2, नवलखा अपार्टमेंट, भारत माता पथ, सी-स्कीम, जयपुर
302001, राज.

.....अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर(प्रशासन), उदयपुर

.....प्रत्यर्थी

प्रथम अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005



निर्णय

दिनांक: 12/05/2025

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत एक अपील प्रस्तुत कर प्रत्यर्थी के कार्यालय में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा (6)(1) के अन्तर्गत दिनांक 04.02.2025 को आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सूचना चाही गई थी जिसमें प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को चाही गई सूचना से संबंधित दस्तावेज नहीं होने से चाही गई सूचना शून्य होना बताये जाने से असंतुष्ट होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील अपीलार्थी दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी से अपील पर जवाब तथा सूचना उपलब्ध कराने हेतु जरिये पत्रांक रीडर/सू.अ./प्रथम अपील/58/25/393-94 दिनांक 17.04.2025 से लिखा गया। प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब शामिल पत्रावली किया गया।

लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर(प्रशासन), उदयपुर ने जरिये पत्रांक: प./41/2/प्र.अ.स./58/25/385-86 दिनांक 09.05.2025 से न्यायालय को प्रत्युत्तर एवं अपीलार्थी/प्रार्थी को सूचना प्रेषित की गई।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर(प्रशासन), उदयपुर द्वारा अपीलार्थी को प्रेषित सूचना के विपरीत अपीलार्थी की ओर से किसी प्रकार की आपत्ति/प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई है। ना ही अपीलार्थी सुनवाई के दौरान उपस्थित हुए है। ऐसी स्थिति में यह माना जाना उचित होगा कि वांछित सूचना अपीलार्थी को प्राप्त हो गई है तथा वह प्रत्यर्थी के जवाब से संतुष्ट है।

अतः उपरोक्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में अपील अपीलार्थी सारहीन होने से खारिज की जाती है। लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर(प्रशासन), उदयपुर को निर्देशित किया जाता है कि भविष्य में नियमानुसार सूचना उपलब्ध कराये।

निर्णय की प्रति उभयपक्ष को प्रेषित की जावे। पत्रावली शुमार फ़ैसल होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 12-05-25 को लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(नमित मेहता)

प्रथम अपील अधिकारी,
सूचना का अधिकार अधि.
एवं जिला कलक्टर, उदयपुर